दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 22-07-2025

शराब दुकान के बाहर भीड़, सिरगिट्टी में अहाते की नीलामी नहीं, आबकारी सचिव देंगे जवाब

आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर खबर पर कोर्ट ने लिया था संज्ञान

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने प्रदेश में शराब दुकानों के अहातों की नीलामी को लेकर आबकारी विभाग से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने विशेष रूप से सिरगिट्टी शराब दुकान से जुड़े अहाते को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, जिसे इस बार नीलामी सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस दुकान के सामने भीड़ से सड़क पर जाम लगता है। दैनिक भास्कर में इसे लेकर छपी खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। तब से मामले पर सुनवाई चल रही है। 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के नोटिस के जवाब में बिलासपुर के जिला आबकारी अधिकारी ने शपथ पत्र देकर बताया कि आबकारी आयुक्त ने 20 मार्च को प्रदेश के सभी कलेक्टर को पत्र जारी कर अहातों के प्रस्ताव मांगे थे। इसके जवाब में बिलासपुर जिले से भेजी गई सूची में सिरगिट्टी अहाते का नाम शामिल नहीं किया गया, इस वजह से 28 मार्च को जारी नीलामी के विज्ञापन में भी यह अहाता शामिल नहीं है। इधर, अशोक नगर की दुकान से लोग परेशान अशोक नगर के लोगों ने बिरकोना रोड की शराब दुकान के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की। लोगों का कहना है कि शराब की दुकान के पास स्कूल और रिहायशी कॉलोनी है। शराब खरीदकर लोग खुलेआम सड़क पर पीते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों को परेशानी होती है। जशपुर में टीआई के घर पहुंची महिलाएं वहीं जशपुर के पत्थलगांव में महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री के विरोध में थाना प्रभारी के घर तक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। महिलाओं का कहना है कि इलाके के युवक नशे के आदी होते जा रहे हैं और घरेलू सामान बेचकर शराब खरीद रहे हैं। सरकार ने कहा- शराब दुकान तय मानकों के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि बिरकोना की शराब दुकान सभी तय मानकों के तहत संचालित हो रही है और स्कूल उस दुकान के बाद खुला है। महाधिवक्ता ने कहा कि फिर भी इस मामले की जांच कराई जाएगी।